राजकीय उच्च पाठशाला चाबुंज, शिमला के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन ।

अवधि 4/88 से 3/90 तक.

" खण्ड-I."

1. गत अंकेक्षण :-

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में समाविष्ट आपत्तियों पर की गई कार्यवाही के अवलोकनोपरान्त निम्न टिप्पणियां आपेक्षित हैं :-

[क] अंकेक्षण अवधि 10/58 से 6/59 तक :-

[1] पैरा 4 शेष ।
[2] पैरा 6 [1] शेष ।
[3] चालान रु0 115.82 पै0 का प्रस्तुत नहीं किया गया ।

[ख] अंकेक्षण अवधि 7/59 से 5/60 तक :-

पैरा 4 [1] शेष ।

[ग] अंकेक्षण अवधि 6/60 से 9/61 तक :-

पैरा जिसमें रुपये 15.00 की अधिक अदायगी की थी, शेष रहा ।

[घ] अंकेक्षण अवधि 10/61 से 6/62 तक :-

[1] पैरा 4 [2] शेष ।
[2] पैरा 5 [2] शेष ।
[3] पैरा 5 [4] शेष ।
[4] पैरा 5 [6] शेष ।
[5] पैरा 6 शेष ।

[ङ.] अंकेक्षण अवधि 7/62 से 3/63 तक :-

[1] पैरा 4 [1] शेष ।
[2] पैरा 4 [2] शेष ।

[3] पैरा 5 [बी] शेष ।

[च] अंकेक्षण अवधि 4/63 से 3/64 तक :-

[1] पैरा 3 समाप्त ।

[2] पैरा 4 शेष ।

[3] पैरा 5 शेष ।

[4] पैरा 6 शेष ।

[छ] अंकेक्षण अवधि 4/64 से 3/72 तक :-

[1] पैरा 4 [ए] शेष ।

[2] पैरा 5 शेष ।

[3] पैरा 6 [ए] व [बी] शेष ।

[4] पैरा 7 शेष ।

[5] पैरा 8 शेष ।

[ज] अंकेक्षण अवधि 4/72 से 6/80 तक :-

[1] पैरा 4 [ए] शेष ।

[2] पैरा 5 शेष ।

[3] पैरा 6 [ए] शेष ।

[4] पैरा 6 [बी] शेष ।

[5] पैरा 7 शेष ।

[6] पैरा 8 शेष ।

[झ] अंकेक्षण अवधि 4/82 से 3/84 तक :-

[1] पैरा 4 [ए] शेष ।

[2] पैरा 6 [ए] शेष ।

[3] पैरा 7 शेष ।

[ट] अंकेक्षण अवधि 4/84 से 3/86 तक :-

[1] पैरा 6 [2] समाप्त ।

[2] पैरा 7 शेष ।

[3] पैरा 8 [4] व [7] समाप्त ।

[4] पैरा 9 [3] शेष ।

31

(5) पैरा 9 (4) शेष ।

(ट) अंकेक्षण अवधि 4/86 से 3/88 तक :-

(1)	पैरा 4 (1)	समाप्त ।
(2)	पैरा 4 (2)	समाप्त ।
(3)	पैरा 5	शेष ।
(4)	पैरा 6 (1)	समाप्त ।
(5)	पैरा 6 (2)	समाप्त ।
(6)	पैरा 7 (1)	समाप्त ।
(7)	पैरा 7 (2)	समाप्त ।
(8)	पैरा 7 (3)	शेष ।

" खण्ड-दो."

2. वर्तमान अंकेक्षण :-

अवधि 4/88 से 3/90 तक का अंकेक्षण वर्तमान अंकेक्षक श्री जी0 के नड्डा, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 9-7-90 से 12-7-90 तक किया गया । लेखों को पूर्ण रूप से जांचने के लिए 5/88, 12/88, 4/89 तथा 12/89 के महीनों का चयन किया गया ।

3. अंकेक्षण शुल्क :-

लेखों को जांचने के लिए अंकेक्षण शुल्क 130/-रु0 बनता है जिसका विवरण निम्नलिखित है । मुख्याध्यापिका से पत्र संख्या:144 दिनांक 16-7-90 द्वारा आग्रह किया गया कि अंकेक्षण शुल्क को सरकारी खजाने में शीर्षक "0070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ, 60- अन्य सेवाएँ, 110- सरकारी लेखा परीक्षा के लिए शुल्क दिनांक प्रभार" में जमा करवाएँ तथा चालान की मूल प्रति में इस विभाग को सत्यापन व लौटाने हेतु प्रेषित करें ।

यूनियन फण्ड	30.00 रुपये
हैल्थ फण्ड	20.00 "
बिल्डिंग फण्ड	20.00 "
रैडक्रास फण्ड	20.00 "

32

पूर्व पृष्ठ से	90.00 रुपये
अनुपस्थिति फण्ड	20.00 रुपये
वार्डेन फण्ड	20.00 "
	130.00 "

---

4. **यूनियन फण्ड :-**

माह 11/88 में 1216/-रुपये का खर्चा :-

खिला टूर्नामेंट में जो कि कुन्नी में दिनांक 7-11-88 से 10-11-88 तक हुए थे 1216/-रु0 का खर्चा किया गया । लेकिन जिन खिलाड़ियों ने टूर्नामेन्ट में भाग लिया उनका विवरण खर्चे के वाउचर के साथ नहीं रखा गया था । क्योंकि एच.आर.टी.सी., शिमला से कुन्नी तथा वापिस के लिए कन्सैशन वाउचर 20 खिलाड़ियों के लिए बनाया गया था । अतः जिन स्कूल के खिलाड़ियों ने खिला टूर्नामेन्ट में भाग लिया का विवरण आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत करें ।

खर्चे के वाउचरों को जांचने पर यह पाया गया कि 792/-रु0 प्रबन्धक समिति को मैस चार्जिज दिनांक 6-11-88 (सुबह) से 9-11-88 (सुबह) तक के लिए भुगतान किया गया क्योंकि देय राशि 720/-रु0 होनी चाहिए थी । (20 खिलाड़ियों के रु0 12/- प्रति खिलाड़ी प्रति दिन की दर से) अतः रुपये 72/- को अधिक अदायगी को डी0एस0एस0ए0 से वसूल किया जाए या सीमा से अधिक व्यय करने की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त की जाए ।

5. **बिल्डिंग फण्ड :-**

वाउचर संख्या शून्य, आरा माह 7/89 में 2125/-रु0 का भुगतान :-

2125/-रुपये शिक्षा अधिकारी को कानून पूरा के 10% हिस्सा के रूप में अवधि 1-5-87 से 31-3-89 तक के लिए भुगतान किए गए । जबकि उपरोक्त अवधि में देय राशि 2037/-रु0 बनती थी (कुल प्राप्ति 21025 रु0 का 10% हिस्सा लेकर रुपये 2102/- बनता था । ~~1500/-रु0~~ 15 रु0 अधिक अदायगी को गई थी । जैसा कि पैरा 6 (1) अंकेक्षण अवधि 4/86 से 3/88 में दर्शाया गया था । 33/-रु0 जिनका अधिक भुगतान किया गया को आगामी 10% हिस्से में समायोजित करें तथा शेष राशि आगे का भेजा जाना सुनिश्चित करें ।

33

6. रैडक्रास फण्ड :-

निम्नलिखित मामलों में रैडक्रास फण्ड से खर्च किया गया था । लेकिन हिमाचल प्रदेश एजूकेशन कोड के नियम 135(बी) के अनुसार जूनियर रैडक्रास एग्जैक्टिव कमेटी की स्वीकृति नहीं ली गई थी । जिसकी स्वीकृति लेकर आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत करें ।

संख्या	माह	भुगतान किया गया	खर्च की गई राशि रु0	खरीद का विवरण ।
(1)	11/88	कपूर पनसा स्टोर शिमला ।	6.00	प्लास्टिक मग बी/एन. 86 दिनांक 31-8-88 द्वारा खरीदा गया ।
(2)	12/88	मै0 रविन्दरा प्रोविजन स्टोर शिमला ।	10.00	जाली टोप खरीदा गया
(3)	12/88	-यथोपरि-	45.00	फिनायल आदि खरीदी गई ।

7. खांड फण्ड :-

(1) निम्नलिखित सामान खांड फण्ड से खरीदा गया था । लेकिन इस कक्ष सामान को स्टोक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था । स्टोक रजिस्टर में सामान को दर्ज करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करें ।

माह	सामान की खरीद की गई	बिल नं0/कैश मैमो नं0	राशि का भुगतान किया गया	खरीद का विवरण —
10/88	बंसल हार्डवेयर, शिमला ।	3299/ दिनांक 10-9-88.	13.45 रु0	बैल्ट खरीदा गया ।
10/88	-यथोपरि-	3304/ दिनांक 13-9-88	43.05	प्लाई खरीदी गई ।
10/88	अजित स्टोर, लालगंज	शून्य/दिनांक 11-9-88	15.00 रु0	स्टेशनरी आरटिकल खरीदे गए ।

31

12/83	सियालकोट हार्डवेयर और फर्नीचर हाउस शिमला ।	3642/दिनांक 19-12-88	1679.00 रु0	एक स्टील की अलमारी खरीदी गई साईज 1980×1010×530,

(2) स्टोक रजिस्टर का रख-रखाव :-

साईंस स्टोक रजिस्टर का रख रखाव ठीक प्रकार नहीं था । जैसा कि निम्नलिखित मामलों से पता चलता है । साईंस आर्टिकल्स का स्टोक रजिस्टर ठीक ढंग से रखा जाए जैसा कि अंकेक्षण के दौरान बताया गया ।

(क) जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त साईंस का सामान :-

जिला शिक्षा अधिकारी, शिमला से 13 मदें साईंस का सामान दिनांक 29-3-88 को प्राप्त हुई तथा प्राप्त सामान को स्टोक रजिस्टर पृष्ठ संख्या: 317 पर दर्ज किया गया जबकि विभिन्न प्रकार के सामान को अलग-अलग पृष्ठ पर दर्ज करना चाहिए था । साईंस सामान जो जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त हुआ था को अलग पृष्ठ पर दर्ज किया जाए तथा दर्ज किए गए सामान की प्रविष्टियां आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापन हेतु प्रस्तुत करें ।

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा साईंस एजुकेशन को प्रदेश में बढ़ावा देने के लिए योजना वर्ष 1987-88 :-

केन्द्रीय सरकार ने हिमाचल प्रदेश में साईंस एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए राजकीय उच्च पाठशाला, नाकुंड को साईंस के सामान खरीदने के लिए 15000/-रु0 दिए थे जो कि निदेशक शिक्षा विभाग, शिमला के पत्र संख्या: ई.डी.एन.-II(22)बीजी(एक्सी)4/88 दिनांक 13-6-88 द्वारा प्राप्त हुए थे । तथा उपरोक्त पत्र के अनुसार यह राशि 25-6-88 तक व्यय करनी थी । इस राशि से पाठशाला ने साईंस के सामान की खरीद की जिसका विवरण निम्नलिखित है ।

संख्या:	सामान की खरीद की गई	बिल नं0	सामान की कीमत रु0
1.	अजन्ता इन्टरप्राईज अम्बाला ।	136/दिनांक 25-6-88	857.00 रु0

35

1.	2.	~~xxx~~ 3.	4.
2.	हिम लैब और सप्लायर्ज़, सोलन ।	427/दिनांक 27-6-83	972/-रु0
3.	यू0 के0 एन्टरप्राईज़ेज, अम्बाला ।	182/77, दिनांक 3-10-83	854.00 रु0
4.	हिम लैब एवं सप्लायर्ज़, सोलन ।	424/दिनांक 24-6-83	4334.00 रु0
5.	-यथोपरि-	429/दिनांक24 -6-83	2328.00 रु0
6.	मै0 हिन्दुस्तान कैमिकल्ज़ ज़ीरकपुर ।	399/दिनांक 28-6-88	772.00 रु0
7.	आर0 के0 कैमिकल्ज़, शिमला ।	323/88-89, दिनांक 18-7-88.	375.00 रु0
8.	हिमाचल सार्इंटीफिक एवं ओपटिकल वर्क्स, ~~[illegible]~~ सोलन ।	9/88-89, दिनांक 15-6-89.	2946.00 रु0

उपरोक्त बिलों द्वारा खरीदे गए सार्इंस के सामान को स्टोक रजिस्टर पृष्ठ 47 से 54 तक में इकट्ठा रूप से दर्ज किया गया जबकि विभिन्न प्रकार के सामान को अलग-अलग पृष्ठ पर दर्ज करना चाहिए था । जिससे एक ही नज़र में विभिन्न प्रकार के सामान के बारे में मालूम पड़ सके । अतः सार्इंस के सामान को अलग अलग पृष्ठ पर दर्ज करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करें ।

(ग) स्टोक रजिस्टर :-

नया स्टोक रजिस्टर जोकि 1986 में शुरु किया गया लेकिन सार्इंस के सामान जो पहले रजिस्टर में दर्ज किया गया था के शेष को नये स्टोक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था ।

पुराने ~~पृष्ठ~~ स्टोक रजिस्टर को जांचने पर यह पाया गया कि पृष्ठ संख्या: 44 में ऐसा कि दर्ज है कि सार्इंस का सामान जो पृष्ठ संख्या: 1 से 44 तक दर्ज थ तथा जिसकी खरीद 1/85 तक की थी को सार्इंस अध्यापक श्री चौधरी ने श्रीमति एस सरस्वती सार्इंस अध्यापिका को 6-3-86 को तबादला होने पर दिया था । उनक

साईंस के सामान को नये रजिस्टर में दर्ज किया जाए यदि उक्त सामान स्टोर / साईंस प्रयोगशाला में पड़ा है यदि नहीं तो सारे सामान की सूची बनाएँ व तथा श्री चौधरी / श्रीमति सरस्वती {जिनका भी तबादला हो चुका है था तथा सामान को नये साईंस अध्यापक को नहीं दिया था} के खिलाफ उचित कार्यवाई करें तथा कम पाये गए सामान की सूची आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत करें । व कम पाये गए सामान का मूल्य दोषी कर्मचारी से वसूल करें ।

{3} साईंस प्रैक्टिकल फीस :-

वर्ष 1987-88 व 1988-89 के दौरान दसवीं कक्षा की परीक्षा का पाठशाला में केन्द्र था हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित साईंस के सामान के उपयोग के लिए साईंस प्रैक्टिकल फीस हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला से प्राप्त नहीं हुई थी । उक्त अवधि की साईंस प्रैक्टिकल फीस सचिव, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला से लेकर साईंस फण्ड में जमा करवाएँ ।

8. विभिन्न आपत्तियाँ :-

{1} पुरानी अखबारों की रद्दी :- {1} स्कूल द्वारा पुरानी अखबारों की रद्दी को बेचने से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिसे आगामी अंकेक्षण के समय अवश्य प्रस्तुत करें ।

{2} फण्ड में अधिक राशि का जमा करवाना :-

छठी-ए कक्षा के हाजरी के रजिस्टर को जांचने पर यह पायागया कि टीचर इन्चार्ज द्वारा दाखिला शुल्क व अन्य फण्डों के रुपये 1258.50 पैसे जमा करवाये थे जबकि 1121.10 रु० जमा करवाने चाहिए थे । जिसका विवरण निम्नलिखित से था

महीना	किश्त संख्या:	राशि जो कि दाखिला शुल्क व फण्डों की थी जमा करवाई गई ।
3/89	पहली किश्त	779.10 रु०
"	द्वितीय किश्त	261.80 रु०
"	तीसरी किश्त	217.60 रु०
		1258.50 रु०

37

दाखिला शुल्क व फण्डों का विवरण जिसकी वसूली की जानी थी तथा जिसको जमा करवाया जाना चाहिए था :-

[1]	नया दाखिला 90 विद्यार्थियों का 2.50 रु0 प्रति विद्यार्थी	225.00
[2]	फण्ड अवधि 1/89 से 3/89 तक के विद्यार्थियों के खाते 8.10 रु0 प्रति विद्यार्थी :-	729.00
[3]	-यथोपरि- ——— 21 विद्यार्थियों के [अतिरिक्त विद्यार्थी] रु0 8.10 पै0 प्रति विद्यार्थी	170.10
	कुल दाखिला शुल्क :- व फण्ड	1124.10
	अधिक जमा की गई राशि :-	134.10

उपरोक्त भिन्नता का औचित्य स्पष्ट किया जाए। दाखिला की प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा न कराने का कारण भी स्पष्ट किया जाए तथा नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जाए।

[3] गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों का प्रस्तुत न किया जाना :-

निम्नलिखित अंकेक्षण प्रतिवेदनों को आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया था। जिससे उनके बकाया आपत्तियों पर की गई कार्यवाही को जांचा नहीं जा सका। इन अंकेक्षण प्रतिवेदनों को ढूंढ कर इन पर की गई कार्यवाही को इस विभाग को अतिशीघ्र भेजने का प्रयास करें।

[क] अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 10/58 से 6/59 तक

[ख] अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 7/59 से 5/60 तक

[ग] अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 6/60 से 9/61 तक

[घ] अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 10/61 से 6/62 तक

[ङ] अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 7/62 से 3/63 तक

[च] अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/64 से 3/72 तक

[छ] अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/72 से 6/80 तक

9. **लघु आपत्तियों की विवरणिका :-**

एक पृष्ठ की लघु आपत्तियों की विवरणिका मुख्याध्यापिका को पहले ही जारी कर दी गई है । आगामी लेखा परीक्षा पर अनुवर्ती कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें ।

10. **सारांश :-**

लेखों के रख-रखाव में अधिक सुधार की आवश्यकता है । खण्ड-I में दर्शाए गए अनिर्णीत पैरों पर उचित कार्यवाही करके इस विभाग को प्रेषित करें ।

हस्ता/-
उप निदेशक,
स्थानीय निधि लेखा,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002.

पृष्ठांकन संख्या: 11[1][1]12]/73-नि०[एल०ए०डी०], दिनांक, शिमला-171002.

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :- 26 OCT 1991

पंजीकृत: 1] मुख्याध्यापिका, राजकीय उच्च पाठशाला, बालूगंज, तहसील शिमला, जिला शिमला [हिमाचल प्रदेश] को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई का टिप्पण-उत्तर इस विभाग को अतिशीघ्र भेजें ।

2] निदेशक, शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171001.

3] जिला शिक्षा अधिकारी, शिमला, जिला शिमला [हिमाचल प्रदेश] ।

4] श्री गोपाल कृष्ण नड्डा, अनुभाग अधिकारी, आदि.....

उप निदेशक,
स्थानीय निधि लेखा,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002.

[सुभाष]

—xxx—